

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सौदनलल बनाम श्री रामा वील (गैर)

मुकदमा ..... प्रा-पत्र 111-128 ..... नं० 96 ..... सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
मे जारी हुए

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 27-11-21 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021  
केम्प ग्राम पंचायत घोडास मे पेश हुई अप्रैल  
के सम्मान बाद तामिल होकर प्राप्त हुए तदसीलपर  
माण्डल की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली  
किया गया। प्रार्थना का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया  
जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

डॉ. पुजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



हुक्म की तारीख  
में जारी है

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 96/21 प्रा.पत्र

1- श्री सोहन लाल श. श्री देवी लाल भील निवासी - सुरासत मांडल प्रार्थी

बनाम

श्री रामा श. देवी भील निवासी - घोडास तहसील - माण्डल (विपक्षीय)

(सिद्धांशित प्रा.पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 27-11-21

6/21

1)काल

537

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर दन किया कि ग्राम.....घोडास.....पटवार हल्का.....घोडास.....तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1532, 1533/2, 1534.....कुल किता .....05.....0-3034.....हेक्टेयर.....1536, 1537.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते युक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26-11-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का प्रकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेशा है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक द्वांत के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....घोडास..... पटवार हल्का.....घोडास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 532, 1533/2, 1534, 1536, 1537.....कुल किता 05.....रकबा 0-3034.....हेक्टेयर.....

मि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....पीयास.....को .....500/-.....पर कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है । कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील नदु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला - भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021

तलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डा. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021